लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

दिनांक 29 अप्रैल, 2019 की सम्पन्न हुई कार्य परिषद की बैठक संख्या 2/2019 की कार्यवाही

उपस्थिति

1. प्रो0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. प्रो0 आर0के0 सिंह, प्रति कुलपति	–	सदस्य
3. प्रो0 पी0सी0 मिश्रा, अधिष्ठाता, कला संकाय	–	सदस्य
4. प्रो0 एस0एस0 बेदार, अधिष्ठाता, आर्युवेद संकाय	–	सदस्य
5. प्रो0 रीता	–	सदस्य
6. प्रो0 पद्म कान्त	–	सदस्य
7. प्रो0 एस0के0 जायसवाल	–	सदस्य
8. प्रो0 बृजेन्द्र सिंह	–	सदस्य
9. प्रो0 प्रवीन नागर	–	सदस्य
10. डॉ0 एम0एम0 वर्मा	–	सदस्य
11. डॉ0 अर्चना मिश्रा नि तिवारी	–	सदस्य
12. डॉ0 रंगोली चन्द्रा	–	सदस्य
13. डॉ0 रंजना वैशम्पायन	–	सदस्य
14. डॉ0 आराधना पाण्डेय	–	सदस्य
15. डॉ ए0ए0 फारुकी	–	सदस्य
16. प्रो0 एस0के0 द्विवेदी	–	सदस्य
17. श्री अनिल सिंह	–	सदस्य
18. श्री एस0के0 शुक्ल, सचिव	–	पदेन सचिव

बैठक में श्री एस0डी0 मौर्या, वित्त अधिकारी,लखनऊ विश्वविद्यालय भी उपस्थित रहे।

बैठक आरम्भ करने से पूर्व माननीय अध्यक्ष/कुलपति द्वारा कार्यपरिषद के नव नियुक्त सदस्यों का स्वागत किया तथा विश्वविद्यालय संचालन में उनके बहुमूल्य सुझावों का आग्रह किया। तत्पश्चात कार्य परिषद के नवागत सदस्यों से शपथ पत्र के प्रारुप पर हस्ताक्षर करा कर उसे सचिव, कार्य परिषद को हस्तगत कराया गया। मा0 कुलपति जी/अध्यक्ष ने नवागत सदस्यों का पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत किया मा0 कुलपति जी/अध्यक्ष महोदय ने अपने सम्बोधन में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले सदस्यों प्रो0 अमिता बाजपेयी, अधिष्ठाता शिक्षा संकाय, प्रो0 दिनेश कुमार, शिक्षा शास्त्र विभाग, एंव प्रो0 राम मिलन,वाणिज्य विभाग, श्री संजय मेधावी,व्यापार प्रशासन विभाग,प्रो0 काली चरन स्नेही,हिन्दी विभाग,प्रो0 डी0पी0 तिवारी,प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग, एवं प्रो0 अरविन्द कुमार वाणिज्य विभाग को कार्य परिषद मे उनके द्वारा दिये गये बहुमूल्य सुझावों एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। बैठक आरम्भ होने से पूर्व कार्य परिषद सदस्य प्रो0 एस0 के0 द्विवेदी द्वारा वर्ष 2018 एवं 2019 में लगातार आकस्मिक बैठक कराये जाने एवं नियमित बैठक न होने का प्रसंग इंगित किया गया जिस पर अध्यक्ष, कार्य परिषद द्वारा आकस्मिक बैठक कराये जाने की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में आकस्मिक बैठकवार संक्षिप्त सारांश से सदन को अवगत कराया गया। चर्चा में कार्य परिषद सदस्य प्रो0 एस0के0 द्विवेदी द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि यथासम्भव प्रत्येक दो माह में

Scanned by CamScanner

कार्य परिषद की बैठक आयोजित की जाये, जिससे कार्य परिषद के विचार, सुझाव और निर्णय विश्वविद्यालय संचालन हेतु प्राप्त हो सके, जिस पर सदन ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त करते हुये यथासम्भव सुझाव के अनुरुप कार्य परिषद की बैठकें आयोजित किये जाने का निर्णय लिया। मा0 अध्यक्ष/कुलपति महोदय द्वारा कुलसचिव/पदेन सचिव,कार्य परिषद को बैठक की कार्यवाही कार्यसूची अनुसार संचालित करने की अनुमति प्रदान की–

कार्यवाही

मद सं 01 – कार्य परिषद की बैठक दिनांक 13.06.2018 एंव कार्य परिषद की आकस्मिक बैठकों दिनांक 18.07.2018,10.08.2018, 26.09.2018, 22.10.2018,एवं दिनांक 14.01.2019 की कार्यवाही की पुष्टि करने पर विचार करना तथा निर्णय लेना।

दिनांक 13.06.2018 की कार्य परिषद की बैठक एवं कार्य परिषद की आकस्मिक बैठकों दिनांक 18.07.2018,10.08.2018, 26.09.2018, 22.10.2018, एवं दिनांक 14.01.2019 के बैठक के कार्यवृत्तों में अंकित निर्णयो पर उक्त बैठको में उपस्थित सदस्यों के पुष्टि के आलोक में विस्तृत विचार–विमर्श कर उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्तों को अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

मद सं 02 – कार्य परिषद की बैठक दिनांक 13.06.2018 एंव कार्य परिषद की आकस्मिक बैठकों दिनांक 18.07.2018,10.08.2018, 26.09.2018, 22.10.2018, एवं दिनांक 14.01.2019 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना प्राप्त करना।

सचिव, कार्य परिषद ने दिनांक 13.06.2019 की सामान्य बैठक के अन्तर्गत इतर मद के विनिश्चय सं0 01 पर अंकित विनियमित हुये कर्मचारियों को विनियमितीकरण के पूर्व उनके द्वारा की गई सेवाओं को युग्मित कर ए0सी0पी0, पेंशन आदि के सम्बन्ध में कार्य परिषद की बैठक दिनांक 13.06.2018 के निर्णयानुसार शासन को प्रेषित प्रस्ताव तथा तद्क्रम में शासन द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्र सं0 159/सत्तर–4–2019–159/2019 दिनांक 14.02.2019 से सदन को अवगत कराया गया। कार्य परिषद ने शासन द्वारा अपेक्षित सूचनाओं को शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया।

उक्त के अतिरिक्त कार्य परिषद की बैठक दिनांक 13.06.2018 एवं आकस्मिक बैठकों दिनांक 18.07.2018, 10.08.2018, 26.09.2018, 22.10.2018, एवं दिनांक 14.01.2019 के निर्णयों पर प्रस्तुत कृत कार्यवाही के विवरण पर कार्य परिषद ने संतोष व्यक्त किया।

मद सं 03 – विद्या परिषद की आकस्मिक बैठकों दिनांक 22.10.2018 एंव 14.01.2019 के कार्यवृत्तों की पुष्टि करने पर विचार करना तथा निणर्य लेना।

कार्यपरिषद ने विद्यापरिषद की आकस्मिक बैठकों दिनांक 22.10.2018 एवं 14.01.2019 के कार्यवृत्त में अंकित निर्णयों पर सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

मद सं 04 – लखनऊ विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट जो वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.03.2019 द्वारा स्वीकृत हैं, के कार्यवृत्त के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

Scanned by CamScanner

कार्य परिषद सदस्य प्रो0 एस0 के0 द्विवेदी द्वारा इस मद पर चर्चा में इंगित किया गया, कि सदन के समक्ष प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2019–2020 का बजट दिनांक 29.04.2019 को कार्य परिषद के समक्ष रखा गया हैं, इस प्रकार दिनांक 31 मार्च के उपरान्त विश्वविद्यालय के खर्चो का निर्वहन तथा धनराशियों का आहरण कार्य परिषद के उक्त पर अनुमोदन के बगैर किस प्रकार किया गया । नियमतः पूर्वगामी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व बजट पारण की कार्यवाही हो जानी चाहिये ताकि आगामी वित्तीय वर्ष के व्यय प्राधिकृत ढंग से होने की व्यवस्था हो सके। उक्त पर सम्यक विचारोपरान्त कार्य परिषद ने निर्णय लिया कि किसी वित्तीय वर्ष का बजट 31 मार्च से पूर्व अवश्य अनुमोदित करा लिया जाए। कार्य परिषद ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.03.2019 के समस्त निर्णयों को अनुमोदित किया तथा वित्त समिति की संस्तुति के आलोक में कार्यवाही सम्पादन हेतु सहमति/अनुमोदन प्रदान किया।

मद सं 05 — लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शिक्षकों की कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत (CAS) सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठकों की संस्तुतियों के सीलबन्द लिफाफो को खोले जाने के सम्बन्ध में विचार करना तथा निर्णय लेना।

क्रम सं0	विभाग का नाम	चयन समिति की बैठक की तिथियां
1.	विधि विभाग	19.01.2019
2.	हिन्दी विभाग	02.02.2019
3.	समाज कार्य विभाग	28.01.2019
4.	पत्रकारिता विभाग	08.02.2019
5.	व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग	08.02.2019

विश्वविद्यालय के उक्त विभागों में कार्यरत शिक्षकों की कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत (CAS) सम्पन्न हुई चयन समिति की संस्तुतियों के सीलबंद लिफाफो को खोले जाने के विषयगत प्रकरण में कुलसचिव/सचिव कार्यपरिषद द्वारा सहायक निर्वाचन आयुक्त के पत्र को सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्य परिषद सदस्य श्री अनिल सिंह व अन्य सदस्यों द्वारा समवेत स्वर में पूर्व दृष्टान्तों का हवाला देते हुये चयन संस्तुतियों के लिफाफो को खोले जाने का प्रस्ताव किया गया जिसका सदन के सदस्य प्रो0 पद्मकान्त,रसायन शास्त्र विभाग व सदन में उपस्थित अन्य सदस्यों द्वारा समर्थन किया तथा सदन ने वैयक्तिक प्रोन्नति योजनान्तर्गत उपरोक्त विभागों के शिक्षकों की चयन संस्तुतियों के लिफाफ खोले जाने का निर्णय लिया।

सदन के उक्त निर्णयानुसार उक्त उल्लिखित विभागों के शिक्षकों की कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत (CAS) के अन्तर्गत सम्पन्न हुयी चयन समितियों से प्राप्त चयन संस्तुतियों के सीलबंद लिफाफे खोले गये, तथा सदन ने विषयवार चयन संस्तुतियों पर निम्नलिखित निर्णय लिये –

i. प्रोफेसर (विधि विभाग) स्टेज – 05

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 19.01.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 सी0 पी0 सिंह, एसोशिएट प्रोफेसर, (स्टेज –04) को प्रोफेसर स्टेज – 05 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

Ashulele .. 3

Scanned by CamScanner

ii. <u>प्रोफेसर (विधि विभाग) स्टेज – 05</u>

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 19.01.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 रमेश कुमार वर्मा, एसोशिएट प्रोफेसर,स्टेज–04 को प्रोफेसर स्टेज – 05 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

iii. <u>प्रोफेसर (विधि विभाग) स्टेज – 05</u>

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 19.01.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 बी0डी0 सिंह, स्टेज–04 को प्रोफसर स्टेज – 05 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

iv. <u>प्रोफेसर (विधि विभाग) स्टेज – 05</u>

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 19.01.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 मोहम्मद अहमद, स्टेज–04 को प्रोफेसर स्टेज – 05 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

v. <u>प्रोफेसर (विधि विभाग) स्टेज – 05</u>

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 19.01.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 कमाल अहमद, स्टेज–04 को प्रोफेसर स्टेज – 05 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

vi. <u>प्रोफेसर (विधि विभाग) स्टेज – 05</u>

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 19.01.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 आनन्द कुमार विश्वकर्मा, स्टेज–04 को प्रोफेसर स्टेज – 05 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

vii. <u>एसोशिएट प्रोफेसर (विधि विभाग) स्टेज – 04</u>

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 19.01.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 नन्द किशोर,असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज–03) को एसोशिएट प्रोफेसर स्टेज – 04 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

viii. <u>एसोशिएट प्रोफेसर (विधि विभाग) स्टेज – 04</u>

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 19.01.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 विनीता काचर, स्टेज–03 को एसोसिएट प्रोफेसर स्टेज – 04 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

ix. <u>एसोशिएट प्रोफेसर (विधि विभाग) स्टेज – 04</u>

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 19.01.2019 क यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 राजकुमार, स्टेज–03 को एसोसिएट प्रोफेर स्टेज – 04 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

Scanned by CamScanner

x. <u>एसोशिएट प्रोफेसर (विधि विभाग) स्टेज – 04</u>

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 19.01.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 सतीश चन्द्र, स्टेज–03 को एसोसिएट प्रोफेसर स्टेज – 04 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

xi. <u>एसोशिएट प्रोफेसर (विधि विभाग) स्टेज – 04</u>

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 19.01.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 प्रेंम चन्द्र सिंह यादव, को स्टेज–03 तथा एसोसिएट प्रोफेसर स्टेज – 04 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

xii. <u>असिस्टेन्ट प्रोफेसर (विधि विभाग) स्टेज – 03</u>

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु स्क्रीनिंग–कम–इवेलुवेशन कमेटी की संस्तुति दिनांक 19.01.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 राजीव कुमार सिंह, को स्टेज–02 को असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज – 03 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

xiii. <u>असिस्टेन्ट प्रोफेसर (विधि विभाग) स्टेज – 03</u>

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु स्क्रीनिंग–कम–इवेलुवेशन कमेटी की संस्तुति दिनांक 19.01.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 हरीश चन्द्र राम, असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज–02 को असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज – 03 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

xiv. <u>असिस्टेन्ट प्रोफेसर (विधि विभाग) स्टेज – 03</u>

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु स्क्रीनिंग–कम–इवेलुवेशन कमेटी की संस्तुति दिनांक 19.01.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 अनुराग कुमार श्रीवास्तव, को स्टेज–02 को असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज – 03 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

xv. <u>असिस्टेन्ट प्रोफेसर (विधि विभाग) स्टेज – 03</u>

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु स्क्रीनिंग–कम–इवेलुवेशन कमेटी की संस्तुति दिनांक 19.01.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 किशोरीलाल, को स्टेज–02 को असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज – 03 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

xvi. <u>असिस्टेन्ट प्रोफेसर (विधि विभाग) स्टेज – 02</u>

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु स्क्रीनिंग–कम–इवेलुवेशन कमेटी की संस्तुति दिनांक 19.01.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 वरुण छांछर , असिस्टेन्ट प्रोफेसर को असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज–02 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

xvii. <u>असिस्टेन्ट प्रोफेसर (विधि विभाग) स्टेज – 02</u>

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु स्क्रीनिंग–कम–इवेलुवेशन कमेटी की संस्तुति दिनांक 19.01.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 चन्द्र सेन प्रताप सिंह,

Scanned by CamScanner

असिस्टेन्ट प्रोफेसर को असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज–02 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

xviii. प्रोफेसर (समाज कार्य विभाग) स्टेज – 05

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 28.01.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 अनूप कुमार भारतीय, एसोशिएट प्रोफेसर स्टेज–4 को प्रोफेसर स्टेज–05 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

xix. एसोशिएट प्रोफेसर (समाज कार्य विभाग) स्टेज – 04

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 28.01.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 रुपेश कुमार, को असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज–3 को एसोसिएट प्रोफेसर स्टेज–04 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

xx. एसोशिएट प्रोफेसर (समाज कार्य विभाग) स्टेज – 04

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 28.01.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 राकेश द्विवेदी, असिस्टेन्ट प्रोफेसर को एसोशिएट प्रोफेसर स्टेज–04 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

xxi. असिस्टेन्ट प्रोफेसर (समाज कार्य विभाग) स्टेज – 03

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 28.01.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 रुपेश कुमार, असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज–2 को स्टेज–03 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

xxii. प्रोफेसर (हिन्दी विभाग) स्टेज – 05

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 02.02.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 हिमांशु सेन एसोशिएट प्रोफेसर स्टेज–4 को प्रोफेसर स्टेज–05 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

xxiii. प्रोफेसर (हिन्दी विभाग) स्टेज – 05

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 02.02.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 श्रुति एसोशिएट प्रोफेसर स्टेज–4 को प्रोफेसर स्टेज–05 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

xxiv. असिस्टेन्ट प्रोफेसर (हिन्दी विभाग) स्टेज – 03

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु स्क्रीनिंग–कम–इवेलुवेशन कमेटी की संस्तुति दिनांक 02.02.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 ठाकुर प्रसाद राही, डॉ0 राहुल पाण्डेय एवं डॉ0 रविकान्त, असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज–2 को असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज – 03 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

xxv. एसोशिएट प्रोफेसर (हिन्दी विभाग) स्टेज – 04

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 02.02.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 ठाकुर प्रसाद राही, असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज–3 को एसोसिएट प्रोफेसर स्टेज–04 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

Scanned by CamScanner

xxvi. प्रोफेसर (पत्रकारिता एवं जनसम्पर्क विभाग) स्टेज – 05

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 08.02.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 मुकुल श्रीवास्तव, एसोशिएट प्रोफेसर स्टेज–4 को प्रोफेसर स्टेज–05 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

xxvii. असिस्टेन्ट प्रोफेसर (व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग) स्टेज – 02

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु स्क्रीनिंग–कम–इवेलुवेशन कमेटी की संस्तुति दिनांक 08.02.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 नागेन्द्र कुमार मौर्या, असिस्टेन्ट प्रोफेसर को असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज–02 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

xxviii. एसोशिएट प्रोफेसर (व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग) स्टेज – 04

परिषद ने उपर्युक्त पद हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 08.02.2019 को यथावत् स्वीकार किया जिसमें डॉ0 अनूप कुमार सिंह,असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज– 3 को एसोशिएट प्रोफेसर स्टेज–04 पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

अग्रेत्तर कार्य परिषद ने यह भी निणर्य लिया कि उक्त शिक्षकों के पदोन्नति पत्र निर्गमन,वेतन निर्धारण आदि के सम्बन्ध में कुलपति, विश्वविद्यालय के अनुमोदन से विहित प्रक्रियानुसार नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जाये तथा एतद् हेतु कुलपति को अधिकृत करने का भी निर्णय लिया।

मद सं0 06 – लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में वर्ष 2016 में नियुक्त शिक्षकों के परिवीक्षा अवधि तथा स्थायीकरण के सम्बन्ध में विचार करना तथा निणर्य लेना।

क्र0 सं0	शिक्षक का नाम	पदनाम	विभाग	नियुक्ति तिथि	प्रस्तावित स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री भानु प्रताप	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	विधि विभाग	12.05.2016	13.05.2017
2.	डॉ0 मोनीषा बनर्जी	प्रोफेसर	प्राणि विज्ञान विभाग	19.03.2016	20.03.2017
3.	डॉ0 मेघा सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	मनोविज्ञान विभाग	05.08.2016	06.08.2017
4.	श्री राज गौरव वर्मा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	अंग्रेजी विभाग	11.07.2016	29.07.2017
5.	श्रीमती माद्रि काकोटी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	भाषा विज्ञान विभाग	12.05.2016	13.05.2017
6.	डॉ0 संजीव किशोर गौतम	एसोशिएट प्रोफेसर	ललित कला विभाग	12.05.2016	26.05.2017
7.	डॉ0 अल्का कुमारी	एसोशिएट प्रोफेसर	वनस्पति विज्ञान विभाग	11.08.2016	12.08.2017
8	डॉ0 रोली वर्मा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	भौतिक , विज्ञान विभाग	12.05.2016	25.05.2017
9.	डॉ0 गीतान्जलि मिश्रा	एसोशिएट प्रोफेसर	प्राणि विज्ञान विभाग	19.03.2016	20.03.2017
10.	डॉ0 शैली मलिक	एसोशिएट प्रोफेसर	प्राणि विज्ञान विभाग	19.03.2016	20.03.2017
11.	सुश्री निहारिका	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	विधि विभाग	21.11.2016	21.11.2017
12.	श्री श्रीपद राजन फुलारी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	ललित कला विभाग	06.06.2016	07.06.2017

लखनऊ विश्वविद्यालय के उपर्युक्त विभागों के शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने तथा उनके शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन हो जाने के आलोक में

..7

Scanned by CamScanner

उन्हें उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से स्थायी किये जाने के प्रस्ताव पर प्रस्तावानुसार कार्य परिषद ने स्वीकृति प्रदान की।

मद सं 07 – लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न स्ववित्तपोषित विभागो में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्रों को कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रकरण कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

क्र0 सं0	शिक्षक का नाम/पदनाम	स्ववित्तपोषित संकाय/विभाग	त्यागपत्र दिये जाने का कारण	कुलपति जी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने की तिथि
1.	डॉ0 प्रियंका शंकर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर(संविदा)	Institute of food Processing & technology	पटना विश्वविद्यालय में नियमित नियुक्ति होने के कारण	13.07.2018
2.	डॉ0 हर्षित मौर्या, असिस्टेन्ट प्रोफेसर (संविदा)	व्यापार प्रशासन विभाग	स्वेच्छा से त्याग पत्र	30.06.2018
3.	डॉ0 सुजीत कुमार अग्रवाल, असिस्टेन्ट प्रोफेसर (संविदा)	इंजीनियरिंग संकाय,	कमला नेहरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सुल्तानपुर में एसोशिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति होने के कारण	30.06.2018
4.	सुश्री अनुभा सिह, असिस्टेन्ट प्रोफेसर (संविदा)	इंजीनियरिंग संकाय,	व्यक्तिगत कारणो से ओडिसा जाने के कारण	17.01.2019
5.	डॉ0 पारुल सिंह, असिस्टेन्ट प्रोफेसर (संविदा)	इंजीनियरिंग संकाय,	व्यक्तिगत कारणो से महाराष्ट्र जाने के कारण	20.04.2019
6.	श्री रवि प्रकाश सिंह असिस्टेन्ट प्रोफेसर (संविदा)	शारीरिक शिक्षा विभाग	केन्द्रीय विद्यालय,नईदिल्ली में नियुक्ति होने के कारण	16.03.2019

कार्य परिषद प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही का अनुमोदन किया।

मद सं 08 – विश्वविद्यालय में कार्यरत निम्नलिखित शिक्षकों के वेतन संरक्षण सम्बन्धी प्रकरणों पर विचार एवं अनुमोदन प्रदान करना।

1. डॉ0 चन्द्रसेन प्रताप सिंह, सहायक आचार्य, विधि विभाग
2. डॉ0 विनीत मैक्सवेल डेविड, सहायक आचार्य, अंग्रेजी एवं आधुनिक भाषा विभाग
3. डॉ0 राहुल पाण्डेय, सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग
4. डॉ0 अर्चना वर्मा, समाज शास्त्र विभाग।

कार्य परिषद ने प्रस्तावानुसार विस्तृत चर्चा कर उपर्युक्त शिक्षकों के द्वारा उनकी पूर्व सेवा में उनके द्वारा आहरित मूल वेतन को संरक्षित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करने के साथ अग्रेत्तर निणर्य लिया कि संगत शासनादेश /शासनादेशों के आलोक में कार्य परिषद की संस्तुति के साथ उक्त शिक्षकों के वेतन संरक्षण के प्रकरणों को शासन को औपचारिक आदेश निर्गमन हेतु विहित प्रक्रियानुसार संदर्भित किया जाये। सदन ने डॉ0 अर्चना वर्मा के सम्बन्ध में कार्य सूची में अंकित ए0 जी0 पी0 6000/– को संशोधित करके उसके स्थान पर ए0 जी0 पी0 7000/– को पढ़े जाने के सचिव/कुलसचिव के अनुरोध को स्वीकार किया।

मद सं 09 – लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त वर्ष 2019 की घोषित सार्वजनिक अवकाश/निर्बन्धित अवकाश की सूची परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

Scanned by CamScanner

कार्य परिषद प्रस्तुत अवकाश सूची से अवगत हुई।

मद सं 10 — दिनांक 13.06.018 की सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक के विनिश्चय संख्या 05(8) के अन्तर्गत डॉ0 अब्बास रजा नैय्यर, उर्दू विभाग को सीधी भर्ती के माध्यम से प्रोफेसर के पद पर मौलिक रुप से नियुक्ति करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था तथा विनिश्चय संख्या 05 (9) के अन्तर्गत कैरियर एडवान्समेंट योजना के अन्तर्गत प्रोफेसर (स्टेज–5) में प्रोन्नति प्रदान की गयी थी। तत्क्रम में सीधी भर्ती से प्रोफेसर के पद पर नियुक्त डॉ0 (प्रोफेसर) अब्बास रजा नैय्यर का धारणाधिकार उनके पूर्व मौलिक पद पर प्रवक्ता/सहायक आचार्य ऊर्दू के पद पर सुरक्षित रखने के प्रकरण पर विचार तथा निर्णय।

उक्त प्रस्ताव से परिषद अवगत हुयी। मा0 कुलपति जी/अध्यक्ष महादेय द्वारा यह उद्बोधन किया गया कि ऐसे प्रकरणों पर सदन एक नीतिगत निर्णय ले ले ताकि भविष्य में भी प्राप्त होने वाले ऐसे समस्त प्रकरणों पर एक समान कार्यवाही निर्धारित हो सके। सदन ने सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित किया कि डॉ0 प्रोफेसर अब्बास रजा नैय्यर का धारणाधिकार (Lien) उनके मौलिक पद प्रवक्ता/सहायक आचार्य, ऊर्दू के पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि वह प्रोफेसर के पद पर स्थायी न हो जाये।

अग्रेत्तर कार्य परिषद ने यह भी संकल्प पारित किया कि कोई भी शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी किसी नये पद के लिये विहित प्रक्रियानुसार विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त होकर/सम्यक् आदेश से किसी उच्चतर पद पर चयनित/नियुक्त/प्रोन्नत होकर विश्वविद्यालय में कार्यरत रहता हैं अथवा अन्य अधिष्ठान में नियुक्त होता हैं तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार चयनित/नियुक्ति/प्रोन्नति के पद पर उसके स्थायी होने की तिथि तक विश्वविद्यालय में उनके द्वारा धारित पूर्व पद पर उसका धारणाधिकार अनुरक्षित रहेगा तथा नवीन नियुक्ति/प्रोन्नति के पद पर उसका स्थायीकरण होते ही उसका धारणधिकार, स्वतः समाप्त हो जायेगा।

मद सं0 11 — कुलसचिव के पत्र सं0 टी0/18841–44 दिनांक 28.08.2018 से निर्गत नियुक्ति पत्र में अंकित नाम को मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त अमित कुशवाहा के स्थान पर अमित कुमार कुशवाहा शुद्ध कर अंकित किये जाने विषयक कुलसचिव द्वारा प्रेषित संशोधन पत्र सं0 टी0/18841–44 दिनांक 28.08.2018 परिषद के सम्मुख संज्ञानार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा प्रस्ताव में प्रस्तुत विवरण का अनुमोदन किया।

मद सं 12 — कुलसचिव के कार्यालय ज्ञाप सं0 ए0डी0/25622–31 दिनांक 07.12.2018 जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में आई0एम0एस0 (यू0जी0),बी0बी0ए0,बी0बी0ए0 (आई0बी0), तथा बी0बी0ए0 (एम0एस0) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में अभ्यर्थियों को N+2(N= पाठ्यक्रम अवधि) अर्थात कुल 05 वर्षो में पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में लिये निर्णय के अनुमोदन पर विचार करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में आई0एम0एस0 (यू0जी0),बी0बी0ए0,बी0बी0ए0 (आई0बी0), तथा बी0बी0ए0 (एम0एस0) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में अभ्यर्थियों को N+2(N= पाठ्यक्रम अवधि) अर्थात कुल 05 वर्षो में पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्धारित किये जाने के प्रकरण

Scanned by CamScanner

से परिषद अवगत हुयी तथा उसका अनुमोदन करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि किसी अन्य पाठ्यक्रम/विषय के सम्बन्ध में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हैं तो उस पाठ्यक्रम/विषय के सम्बन्ध में भी **N+2** का सिद्वान्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि के लिये रहेगा। इंजीनियरिंग, विधि,फार्मेसी,आर्युवेदिक आदि पाठ्यक्रमों में उनसे सम्बन्धित **National Statutory Bodies** के निर्धारित कार्यवाही किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

मद सं0 13 – निम्नलिखित कर्मचारियों की आसामयिक मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को मृतक आश्रित नियमावली 1974 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन से प्रदान की गयी नियुक्तियों तथा इंजीनियरिंग एंव टेक्नोलॉजी संकायं (स्ववित्तपोषित) में विज्ञापन के माध्यम से अनुदेशक(संविदा) की नियुक्तियों का विषय परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

(अ) – मृतक आश्रितो की नियुक्तियॉ

क्रमांक	मृतक कर्मचारी	प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की तिथि/	आश्रित/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम	पे–बैण्ड/ग्रेड पे
1.	स्व0 अरुण कुमार	21.12.2017	श्रीमती सुनीता वर्मा पत्नी स्व0 अरुण कुमार	माली	भूमि एवं उद्यान विज्ञान विभाग	रु0 5200–20200 रु0 1800/–
2.	स्व0 शिवदहीन	22.05.2018	श्रीमती शारदा देवी पत्नी स्व0 शिवदहीन	माली	भूमि एवं उद्यान विज्ञान विभाग	रु0 5200–20200 रु0 1800/–
3.	स्व0 शान्ती देवी	31.07.2017	श्री राज पुत्र स्व0 शान्ती देवी	माली	भूमि एवं उद्यान विज्ञान विभाग	रु0 5200–20200 रु0 1800/–
4.	स्व0 सुन्दर प्रसाद	30.11.2017	श्रीमती कुशलोता पत्नी स्व0 सुन्दर प्रसाद	माली	भूमि एवं उद्यान विज्ञान विभाग	रु0 5200–20200 रु0 1800/–
5.	स्व0 रामा देवी	18.09.2018	श्री कुणाल कश्यप पुत्र स्व0 रामा देवी	माली	आचार्य नरेन्द्र देव छात्रावास	रु0 5200–20200 रु0 1800/–

उपरोक्त तालिका में अंकित कर्मचारियों की आसामयिक मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर मृतक आश्रित नियमावली 1974 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन से की गयी नियुक्तियों से परिषद अवगत हुयी तथा उक्त नियुक्तियों का अनुमोदन किया।

(ब) – इंजीनियरिंग एंव टेक्नोलॉजी संकायं (स्ववित्तपोषित) में विज्ञापन सं0 आर0–01/2018 दिनांक 19.03.2018 की नियुक्तियॉ

क्रमांक	कर्मचारी का नाम का नाम	पदनाम/ नियुक्ति की प्रकृति	विभाग का नाम	नियत वेतन
1.	श्री नितेश कुमार अग्रहरी,	प्रयोगशाला अनुदेशक (संविदा)	इंजीनियरिंग एंव टेक्नोलॉजी संकाय(Civil Engineering)	नियत वेतन रु0 15,000/– प्रतिमाह

Scanned by CamScanner

2.	श्री अभिज्ञान ऐश्वर्य,	प्रयोगशाला अनुदेशक (संविदा)	इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संकाय (Elerctrical Engineering)	नियत वेतन रु0 15,000/— प्रतिमाह
3.	अमित कुमार सिंह	प्रयोगशाला अनुदेशक (संविदा)	इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संकाय (Computer Science & Engineering Branch)	नियत वेतन रु0 15,000/— प्रतिमाह
4.	सुश्री निभा सिंह	प्रयोगशाला अनुदेशक (संविदा)	इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संकाय (Machanical Engineering Branch)	नियत वेतन रु0 15,000/—
5.	अरुण श्रीवास्तव	प्रयोगशाला अनुदेशक (संविदा)	इंजीनियरिंग एव टेक्नोलॉजी संकाय Electronics & Communication Engineering)	नियत वेतन रु0 15,000/—

उपर्युक्त तालिका में अंकित इंजीनियरिंग एंव टेक्नोलॉजी संकाय (स्ववित्तपोषित) में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त किये जाने सम्बन्धी प्रकरण से परिषद अवगत हुयी तथा नियुक्तियों का अनुमोदन किया।

<u>मद सं0 14</u> — शिक्षको को असाधारण अवकाश स्वीकृति के प्रकरणों पर विचार करना तथा निर्णय लेना।

क्र0 सं0	शिक्षक का नाम/पदनाम	विभाग	वेतनरहित/वेतनसहित असाधारण अवकाश की प्रकृति/ कारण	अवकाश की तिथि
1.	श्री राजन श्रीपद फुलारी असिस्टेन्ट प्रोफेसर	ललित कला विभाग	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली में सचिव के पद पर नियुक्त होने के कारण वेतनरहित अवकाश	पूर्व स्वीकृत आसाधारण अवकाश दिनांक 01.09. 2018 से तीन वर्ष के स्थान पर दिनांक 01.09.2018 से 08.03.2019 तक (कार्यभार ग्रहण करने की तिथि) तथा शेष अवधि निरस्त करने के लिए
2.	डॉ0 अराफात जफर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर	अरबिक विभाग	अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एसोशिएट प्राफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के कारण वेतनरहित अवकाश	दिनाक 11.02.2019 से दिनाक 10.02.2021, दो वर्ष हेतु (स्थायीकरण की तिथि 27.07. 2008)
3.	डॉ0 शैली मलिक, एसोशिएट प्रोफेसर	जन्तु विज्ञान विभाग	इण्टरनेशनल आरनिथोलॉजिकल कांग्रेस—2018 को वैंकूवर, ब्रिटिश कोलम्बिया कनाडा में दिनांक 26.08.2018 तक कर्तव्यावकाश तथा अल्बामा स्टेट यूनिवर्सिटी मोंटगोमरी अल,यू0एस0ए0 में प्रायोजित रमन फैलोशिप हेतु अध्ययन अवकाश पूर्ण वेतन सहित	दिनाक 27.08.2018 से 11.10. 2018(46 दिन)
4.	डॉ0 अशोक कुमार, सहायक आचार्य	सांख्यिकी विभाग	दिल्ली विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग से पी—एच0डी0 से सम्बन्धित शेष शोध कार्य पूर्ण करने हेतु सवेतन स्टडी लीव	दिनाक 09.01.2019 से 08.07. 2019 तक

Ashukla

Scanned by CamScanner

5.	सुश्री शची राय, सहायक आचार्य	अर्थशास्त्र विभाग	दिल्ली विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग से पी–एच0डी0 से सम्बन्धित शेष शोध कार्य पूर्ण करने हेतु सवेतन स्टडी लीव	दिनांक 15.01.2019 से 14.01. 2020 तक
6.	डॉ0 मीनाक्षी पाह्वा, एसोशिएट प्रोफेसर	अंग्रेजी विभाग	विश्वविद्यालय अनुदान आयेाग द्वारा रिसर्च प्रोजेक्ट "Traditional folk theatre in contemporary India (Nautanki in Uttar Pradesh and therkoothee in Tamilnadu)" को प्रकाशित करने हेतु पूर्ण वेतन सहित Sabbatical Leave	दिनांक 22.01.2019 से 21.12. 2019 तक
7.	प्रो0 डी0पी0 तिवारी	प्राचीन भारतीय इतिहास तथा पुरातत्व विभाग	वीर कंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार के कुलपति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के कारण वेतनरहित असाधारण अवकाश	दिनांक 12.03.2019 से दिनांक 11.03.2020 तक

उपरोक्त तालिका में अंकित शिक्षको को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वेतनरहित एवं वेतनसहित असाधारण एवं वेतन सहित अवकाश स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरणों से परिषद अवगत हुयी,तथा कृत कार्यवाही का परिषद ने अनुमोदन किया।

मद सं0 15 – लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयुक्त निम्नलिखित महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की स्थायी/अस्थायी सहयुक्तता एंव सहयुक्तता के विस्तारण सम्बन्धी विवरण परिषद के सम्मुख स्वीकृतार्थ प्रस्तुत :–

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	स्थायी/अस्थायी सहयुक्तता एंव विस्तारण की प्रकृति	सत्र
1.	जी0एस0आर0एम0 मेमोरियल पी0जी0कालेज 719–एस भदोई नरायनपुर फतेहगंज मार्ग लखनऊ	बी0ए0, बी0एस0सी0 एंव बी0कॉम	अस्थायी सहयुक्तता विस्तारण कार्योत्तर अनुमोदन सम्बन्धी	सत्र 2018–19 हेतु मात्र
2.	पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजाजीपुरम, लखनऊ	एम0ए0– अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र एंव गृह विज्ञान	अस्थायी सहयुक्तता विस्तारण कार्योत्तर अनुमोदन सम्बन्धी	सत्र 2018–19 हेतु मात्र
3.	राष्ट्रीय कथक संस्थान,गोमतीनगर, लखनऊ	एम0पी0ए0 (मास्टर ऑफ परफार्मिंग आर्ट्स)	अस्थायी सहयुक्तता विस्तारण कार्योत्तर अनुमोदन सम्बन्धी	सत्र 2018–19 हेतु मात्र
4.	नगर निगम डिग्री कालेज इस्माइलगंज,चिनहट,फैजाबाद रोड	बी0ए0,एंव बी0कॉम	अस्थायी सहयुक्तता विस्तारण कार्योत्तर अनुमोदन सम्बन्धी	सत्र 2018–19 हेतु मात्र
5.	लाल बहादुर शास्त्री गर्ल्स कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट कुर्सी रोड, लखनऊ	बी0 कॉम0 पाठ्यक्रम	अस्थायी सहयुक्तता विस्तारण कार्योत्तर अनुमोदन सम्बन्धी	सत्र 2018–19 हेतु मात्र

कार्य परिषद ने सत्र 2018–19 हेतु सहयुक्तता विस्तारण के प्रस्तुत प्रस्तावों पर कुलपति की स्वीकृति से कृत कार्यवाही का अनुमोदन प्रदान किया।

Scanned by CamScanner

(ब) – उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा 38(4) के अन्तर्गत निम्नलिखित महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों को सत्र 2019–20 के लिये अस्थायी/स्थायी सहयुक्तता विस्तारण सम्बन्धी प्रकरण पर विचार करना चाहें।

क्रं0 सं0 1.	महाविद्यालय का नाम 2.	पाठ्यक्रम का नाम 3.	स्थायी/अस्थायी सहयुक्तता एंव विस्तारण की प्रकृति 4.	सत्र 5.
1.	नवयुग कन्या महाविद्यालय,राजेन्द्रनगर, लखनऊ	एम0 कॉम0	अस्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से दो वर्षों हेतु मात्र
2.	लखनऊ डिग्री कालेज, बाज नगर,हरदोई रोड लखनऊ	बी0एल0एड0 (50 सीट)	अस्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से 04 वर्ष हेतु मात्र
3.	यूनिटी डिग्री कालेज, लखनऊ	बी0ए0(7 विषय, 420 सीट)	अस्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से 03 वर्षो हेतु मात्र
4.	रजत वोमेन्स कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड मैनेजमेन्ट कमता, फैजाबाद रोड लखनऊ	एम0एड0	अस्थायी सहयुक्तता विस्तारण	सत्र 2019–20 मात्र हेतु
5.	रजत कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड मैनेजमेन्ट मटियारी, फैजाबाद रोड लखनऊ	एम0एड0	अस्थायी सहयुक्तता विस्तारण	सत्र 2019–20 हेतु मात्र
6.	बलराम कृष्ण एकेडमी, अतरौली, मोहनलालगंज, लखनऊ	बी0ए0 एंव बी0कॉम0	अस्थायी सहयुक्तता विस्तारण	सत्र 2019–20 हेतु मात्र
7.	मुमताज पी0जी0 कालेज,डालीगंज लखनऊ	बी0 कॉम0 पाठ्यक्रम	स्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने	सत्र 2019–20 से
8.	लखनऊ डिग्री कालेज, बाज नगर,हरदोई रोड लखनऊ	बी0ए0 पाठ्यक्रम (420 सीट)	स्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से
9.	जी0एस0आर0एम0 मेमोरियल पी0जी0कालेज 719–एस भदोई नरायनपुर फतेहगंज मार्ग लखनऊ	बी0कॉम0 एवं बी0एस–सी0	स्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से
10.	पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजाजीपुरम, लखनऊ	एम0ए0–मध्य कालीन इतिहास,	स्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से
11.	दिव्या सिंह मेमोरियल महिला महाविद्यालय	बी0ए0	स्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से
12.	माडर्न कालेज ऑफ एजुकेशन लखनऊ	बी0एड0	स्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से
13.	राम प्रसाद बिस्मिल मेमोरियल डिग्री कालेज लखनऊ	बी0एड0	स्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से
14.	श्री महेश प्रसाद डिग्री कालेज, मोहनलालगंज, लखनऊ	बी0एस0सी0 कृषि	स्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से
15.	सुरजन देवी अनुसुइया देवी डिग्री कालेज गंगागंज लखनऊ	बी0कॉम0	स्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से

Scanned by CamScanner

16.	कालेज ऑफ इनोवेटिव मैनेजमेन्ट एण्ड साइंस लखनऊ	बी0कॉम0	स्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से
17.	बी0एस0एन0वी0 पी0जी0कालेज चरबाग,लखनऊ	बी0कॉम0	अस्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 हेतु
18.	पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजाजीपुरम, लखनऊ	एम0ए0–गृह विज्ञान,	स्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20

कार्य परिषद ने उक्त तालिका में अंकित महाविद्यालयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण की आख्या में की गयी संस्तुति एवं महाविद्यालयों के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावानुसार निरीक्षण मण्डल की संस्तुति महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि तथा पाठ्यक्रम के लिये उपरोक्त कालम–05 के विवरणानुसार सहयुक्तता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की।

सम्यक् विचारोपरान्त परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उ0प्र0 के शासन के शासनादेश संख्या–23/ 2016/772/सत्तर–2–2016–16 (116)/2015 टी0सी0 दिनांक 22.12.2016 जो भूमि के मानकों से सम्बन्धित है, के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन से दिशा निर्देश प्राप्त किये जाये कि "यदि भूमि न तो संचालक/मातृ संस्था के नाम हो और न ही महाविद्यालय के नाम हो और महाविद्यालय संदर्भित दिनांक 21.10.2005 के पूर्व से संचालित हो" तो भी ऐसे महाविद्यालयों की सहयुक्तता दी जा सकती है अथवा नहीं ? छात्र हित में सत्र 2019–.20 हेतु सहयुक्तता प्रदान करने एवं शासन से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

मद सं 16 कार्य परिषद के सम्मुख सूचनार्थ/अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

(अ)–यू0जी0सी0, नई दिल्ली द्वारा पत्र सं0 एफ–2–80 (1)/2008 (एसी) दिनांक 17.07.2018 द्वारा नेशनल पी0जी0 कालेज, लखनऊ को यू0जी0सी0 स्कीम के अन्तर्गत पूर्व प्रदत्त स्वायत्तशासी (ऑटोनामस) दर्जा 06 वर्षों की अवधि(सत्र 2015–16 से 2020–2021) हेतु निर्धारित मानकों एवं शर्तों के अधीन विस्तरित करने सम्बन्धी पत्र परिषद के संज्ञानार्थ प्रस्तुत।

प्रस्तुत सूचना से कार्य परिषद अवगत हुई।

(ब)–लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के परिनियम (यथासंशोधित) 11.03.03 में सम्बद्व अनुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति हेतु निम्न शैक्षिक अर्हता निर्धारित हैं–

(a) A Master's Degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) by a recognized University.

(b) A Ph.D. Degree in concerned / allied / relevant discipline(s) in the institution concerned. with evidence of published work and research guidance.

Scanned by CamScanner

(c) Associate Professor (Reader)/Professor with a total experience of fifteen years of teaching/research/ administration in Universities, Colleges and other institutions of higher education.

(d) A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API based Performance Based Appraisal System (PBAS), as set out in Tables I to VI of Appendix-H.

अनानुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में प्राचार्य पद की अर्हताओं के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 772/सत्तर–1–2018–16(123)/2015 दिनांक 19.09.2018 के संदर्भ में सर्वसम्मति से इस शासनादेश के प्रावधानो/नियमों को यथावत लागू करने का निर्णय लिया गया।

(स) – उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावली
में शिक्षकों के लिए विशेष अवकाश का प्राविधान किये जाने तथा असाधारण अवकाश के
प्राविधान में आंशिक संशोधन करने के सम्बन्ध में शासनादेश सं0,
269/सत्तर–1–2018–16 (35)/2017 टी0सी0 II दिनांक 25.07.2018 से उत्तर प्रदेश
राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 50 की उपधारा 6 में राज्य सरकार को
प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम
परिनियमावली में शिक्षकों के लिए विशेष अवकाश का प्राविधान किये जाने तथा असाधारण
अवकाश के प्राविधान में आंशिक संशोधन किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 25.07.
2018 को लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में यथास्थान संशोधित करने हेतु
निणर्य लिया गया।

कार्य परिषद प्रस्ताव से प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।

(द)–शासन के पत्र सं0 983/सत्तर– 4–2018–278/2015 दिनांक 27.07.2015 द्वारा डॉ0
बी0बी0 मिश्रा, रेजीडेन्ट, मेडिकल ऑफिसर (सेवानिवृत्त) को दिनांक 31.07.2018 तक
पुनर्नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0
81/सत्तर–4–2018–2078/2015 दिनांक 29.05.2018 के क्रम में पुनः दिनांक
01.08.2018 से एक वर्ष अथवा नई नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो तक के लिये,
विश्वविद्यालय की चिकित्सा डिस्पेन्सरी में पुनर्नियुक्ति प्रदान किये जाने एंव विश्वविद्यालय
की चिकित्सा डिस्पेन्सरी के रिक्त पदों को भरे जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति
प्रदान की गयी हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त कुलसचिव
द्वारा निर्गत पत्र सं0 पी0–18368–80 दिनांक 21.08.2018 परिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत।

प्रस्तुत सूचना से कार्य परिषद अवगत हुई तथा उसका अनुमोदन किया। कार्य परिषद
सदस्य प्रो0 एस0के0 द्विवेदी ने मत व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय में रिक्त चिकित्सा
अधिकारियों के पद शीघ्र विज्ञापित कर भरा जाना, चिकित्सीय सुविधाओं के सम्यक
एवं सुचारु संचालन हेतु उचित होगा। सदन ने उक्त प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते
हुये चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को विहित प्रक्रियानुसार/नियमानुसार शीघ्र
भरे जाने का निर्णय लिया।

<u>मद सं 17</u> – लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रकरण परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पद नाम	नियुक्ति की प्रकृति	कार्यालय/विभाग का नाम	नियुक्ति/समायोजन/विनियमितीकरण तिथि	कार्य-भार ग्रहण तिथि	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री राजीव कुमार सिंह	परिचर	मृतक आश्रित	कुलसचिव कार्यालय	06.02.2015	06.02.2015	06.02.2016
2.	श्रीमती रीता	आया	मृतक आश्रित	कैलाश छात्रावास	23.09.2002	24.09.2002	24.09.2003
3.	श्री ध्रुव कुमार रावत	अटेण्डेण्ट	मृतक आश्रित	कला एंव शिल्प महाविद्यालय	12.07.2007	12.07.2007	12.07.2008
4.	श्री राकेश कुमार	अटेण्डेण्ट	मृतक आश्रित	कला एंव शिल्प महाविद्यालय	14.03.2008	14.03.2008	14.03.2009
5.	श्री विपिन कुमार	सफाईकर्मी	मृतक आश्रित	महमूदाबाद छात्रावास	20.07.2016	20.07.2016	20.07.2017
6.	श्री रामयज्ञ	मली	नियमित	महमूदाबाद छात्रावास	01.09.1995	01.09.1995	01.09.1996
7.	श्रीमती उर्मिला देवी	आया	समायोजन	महमूदाबाद छात्रावास	21.05.2005	21.05.2005	21.05.2006
8.	श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह	पम्प चालक	मृतक आश्रित	निर्माण विभाग	11.06.2001	11.06.2001	11.06.2002
9.	श्री आजाद अली अंसारी	पम्प चालक	मृतक आश्रित	निर्माण विभाग	01.10.2002	05.10.2002	05.10.2003
10.	श्री माया राम	पम्प चालक	विनियमित	निर्माण विभाग	19.11.2014	25.11.2014	25.11.2015
11.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	पम्प चालक	समायोजन	निर्माण विभाग	12.07.2004	12.07.2004	12.07.2005
12.	श्री प्रमोद कुमार भटनागर	पम्प चालक	समायोजन	निर्माण विभाग	01.08.2000	18.08.2000	18.08.2001
13.	श्री सतीश कुमार	पम्प चालक	समायोजन	निर्माण विभाग	12.07.2004	12.07.2004	12.07.2005
14.	श्री रमेश	परिचर	नियमित	राष्ट्रीय सेवा योजना	28.05.2011	28.05.2011	28.05.2012
15.	श्री सौरभ कुमार	प्रयोगशाला सहायक	समायोजन	भौतिक विज्ञान विभाग	29.06.2016	29.06.2016	29.06.2017
16.	श्रीमती बीना	परिचर	मृतक आश्रित	वाणिज्य संकाय	05.12.2014	05.12.2014	05.12.2015
17.	श्री मोहन लाल	सफाई कर्मी	मृतक आश्रित	वाणिज्य संकाय	20.11.2014	20.11.2014	20.11.2015
18.	श्री शशांक शर्मा	चौकीदार	मृतक आश्रित	वनस्पति विभाग	06.11.2009	06.11.2009	06.11.2010
19.	श्री अखिलेश पाल	लैब बियरर	मृतक आश्रित	वनस्पति विभाग	15.04.2017	15.04.2017	15.04.2018
20.	श्री सूर्य प्रकाश	प्रयोगशाला सहायक	मृतक आश्रित	जीव रसायन विभाग	19.11.2014	21.11.2014	21.11.2015

विश्वविद्यालय में कार्यरत् शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में अंकित है, उन्हें उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी द्वारा स्थायी किये जाने की स्वीकृति कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही का अनुमोदन किया।

Scanned by CamScanner

मद संख्या 18— भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अतीत के गौरव, भारतीय सभ्यता एंव संस्कृति के अग्रदूत विख्यात महान सम्राट विक्रमादित्य की आदमकद प्रतिमा लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद के सम्मुख निर्णयार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

डॉ0 गिरीश गुप्ता, अध्यक्ष, नववर्ष चेतना समिति, बी–1/41, सेक्टर–ए, कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ के सम्राट विक्रमादित्य की आदम कद प्रतिमा परिसर में स्थापित किये जाने के प्रस्ताव पर परिषद ने चर्चा की तथा निर्णय लिया कि उक्त प्रतिमा को विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर में उपयुक्त स्थान पर स्थापित करने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जाय।

मद संख्या 19 (अ) —उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0 1124/सत्तर–4–2018–358 (वि0वे0आ0)/2018 दिनांक 13.09.2018 जो सातवें केन्द्रीय आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा समकक्ष संवर्गो के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण योजना को प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा समकक्ष संवर्गो के सम्बन्ध में लागू किये जाने सम्बन्धी सूचना प्राप्त करना।

सदन को अवगत कराया गया कि सातवें वेतन आयोग के संस्तुति के आधार पर लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों को प्रदेश में सबसे पहले वेतन एवं एरियर का भुगतान कर दिया गया है इस पर सदन ने हर्ष व्यक्त किया। सदन के संज्ञान में यह विषय लाया गया कि शिक्षकों की वेतन विसंगतियों तथा एक वेतनवृद्धि की देयता के प्रकरण के निस्तारण हेतु मा0 कुलपति जी द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया हैं, जो कि विश्वविद्यालय के पत्र संख्या जी0ए0–7639–73 दिनांक 18.04.2019 से नोटीफाई की गई हैं,जिसके अनुसार समिति का गठन निम्नवत् हैः–

01. श्री क्षत्रपाल वर्मा, सेवानिवृत्त नियंत्रक, वन विभाग।
02. श्री भानु प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त वित्त नियंत्रक, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
03. श्री आर0 सी0 बाजपेयी, सेवानिवृत्त वित्त एवं लेखाधिकारी।

लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अनुरोध पर **प्रो0 मनोज कुमार अग्रवाल(अर्थशास्त्र विभाग) एवं प्रो0 सोमेश शुक्ला, अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय** को भी समिति में सम्मिलित किया गया हैं।

सदन ने कुलपति द्वारा गठित समिति का अनुमोदन करते हुए यह निर्णय लिया कि समिति की संस्तुतियों को यथासमय कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

(ब) — विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना दिनांक 18.07.2018 जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों एंव महाविद्यालयों में शिक्षकों एंव अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम–2018 को विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली में यथास्थान समावेशित करने हेतु विचार करना तथा निर्णय लेना।

कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना दिनांक 18.07. 2018 तथा उसके संशोधनों को लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के वर्तमान प्राविधानों को संशोधित कर नवीन प्राविधानों को शासन के

Scanned by CamScanner

निर्णय/आदेश के अनुरूप यथा स्थान प्रतिस्थापित करने हेतु का संकल्प पारित किया।

मद संख्या 20 – कार्य परिषद की बैठक दिनांक 13.06.2018 के विनिश्चय संख्या 09 एवं 10 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ0 अकील अहमद, सेवानिवृत्त प्रोफेसर सांख्यिकी विभाग एवं डॉ0 वी0के0पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, रसायन शास्त्र, प्रो0 यू0डी0शर्मा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, जन्तु विज्ञान विभाग एवं डॉ0 पी0के0टंडन, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग को पुराने अवकाश नियमों के अन्तर्गत 6 माह का अर्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने के प्रकरणों पर विचार करना तथा निर्णय लेना।

कार्य परिषद ने विषयाधीन मद के अन्तर्गत कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण विवरण एवं डॉ0 अकील अहमद के प्रकरण में पत्रावली पर कुलपति के आदेशों का जिसकी छायाप्रति कार्यसूची में संलग्न है, का सम्यक रूप से अवलोकन किया। कुलपति/अध्यक्ष कार्य परिषद द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि प्रो0 अकील अहमद का प्रकरण मा0 श्री राज्यपाल /कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्णीत प्रो0 पी0सी0 श्रीवास्तव, के प्रकरण के समान हैं। प्रों यू0डी0 शर्मा, तथा प्रो0 वी0 के0 पाण्डेय, तथा प्रो0 पी0के0 टण्डन ने भी स्वयं के प्रकरण को प्रो0 पी0सी0 श्रीवास्तव,रसायन शास्त्र विभाग के प्रकरण को समान कहते हुये मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0 344/2019 योजित की गई हैं, जो मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं।

कार्य परिषद सदस्य प्रो0 एस0के0 द्विवेदी ने मन्तव्य व्यक्त किया कि प्रो0 पी0सी0 श्रीवास्तव के प्रकरण से समानता के आधार पर एक प्रकरण में स्वीकृति देना तथा अन्य को छोड़ना न्यायोचित नहीं होगा।

कार्य परिषद ने सम्यक चर्चाउपरान्त प्रो0 अकील अहमद, प्रो0 यू0डी0 शर्मा, तथा प्रो0 वी0 के0 पाण्डेय, तथा प्रो0 पी0के0 टण्डन सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को प्रो0 पी0सी0 श्रीवास्तव, रसायनशास्त्र विभाग के प्रकरण की भॉति पुराने अवकाश नियमों के अन्तर्गत 06 माह का ऊपर लिखित अवकाश नकदीकरण के भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 21– प्रो0 एस0के0चौधरी, समाजशास्त्र विभाग द्वारा Ravindra Nath Tagore Institute ILOT,D'Epinay(Port Louis, Mauritius) दिनांक 23.01.2019 से दिनांक 01.04.2019 तक आयोजित इण्टरनेशनल विजिटिंग फैलो सेमिनार में बिना अवकाश स्वीकृत कराये प्रतिभाग किया गया, जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, तत्क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973(यथा संशोधित) की धारा 13 की उपधारा 6 के अन्तर्गत कुलपति को प्राप्त अधिकारों से प्रो0 चौधरी को कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में पत्र संख्या आर/ 395–400/19 दिनांक 09.04.2019 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। कार्य परिषद कृपया उक्त का अनुमोदन करते हुए जाँच हेतु परिनियमावली के प्राविधानानुसार अनुशासनिक समिति गठित करने का कष्ट करना चाहें।

कार्य परिषद ने चर्चोपरान्त सर्वसम्मति से प्रो0 एस0 के0 चौधरी,समाजशास्त्र विभाग के निलम्बन को समाप्त करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 22 (अ)–विश्वविद्यालय में समय–समय पर नियोजित किये गये संविदा/दैनिक वेतन/नियत वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को शासनादेश सं0 09/2016/बे0अ0–02–201/10–2016–08(मु0स0स0)/2011 टी0सी0 दिनांक 24.02.2016 एवं विनियमितीकरण नियमावली

Scanned by CamScanner

सं0 09/2016/02/01/97/ क–02 /2016 दिनांक 22.09.2016 द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर विनियमित किया गया था। इन कर्मचारियों के नैत्यिक लिपिक/कनिष्ठ सहायक की न्यूनतम निर्धारित अर्हता टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट हिन्दी में एंव 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में निर्धारित हैं। उक्त के आलोक में हुये टंकण परीक्षा के परीक्षाफल पर विचार करना तथा निर्णय लेना।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	पद नाम	कार्यालय/विभाग का नाम	विनियमितीकरण की तिथि/अनानुमोदित रूप से कार्य करने की तिथि	परीक्षा परिणाम	
					अंग्रेजी	हिन्दी
1.	श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	01.11.1994/20.04.2017	Fail	Fail
2.	श्री विद्या धर पाण्डेय	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	19.12.1994/20.04.2017	Fail	Fail
3.	श्री संजय श्रीवास्तव	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	28.07.1995/20.04.2017	Fail	Fail
4.	श्री अजीत सिंह	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	19.03.1995/20.04.2017	Fail	Fail
5.	श्री एस0जेड0एच0 नकवी	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	11.07.1995/20.04.2017	Fail	Fail
6.	श्री कृष्ण कांत शुक्ला	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	03.03.1995/20.04.2017	Fail	Fail
7.	श्री योगेश कुमार	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	06.06.1995/20.04.2017	Fail	Fail
8.	श्री राम चरित्र	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	08.06.2000/20.04.2017	Fail	Fail
9.	श्री दिनेश कुमार चौधरी	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	01.04.2001/20.04.2017	Fail	Fail
10.	श्री अशोक जी	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	28.07.1997/20.04.2017	Fail	Fail
11.	श्री राकेश वैश्य	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	28.07.1997/20.04.2017	Fail	Fail
12.	श्री संतोष कुमार तिवारी	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	28.07.1997/20.04.2017	Fail	Fail
13.	श्री शरत कुमार सिंह	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	29.07.1997/20.04.2017	Fail	Fail
14.	श्री महेन्द्र नाथ श्रीवास्तव	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	31.07.1997/20.04.2017	Fail	Fail
15.	श्री धीरेन्द्र कुमार शुक्ला	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	12.09.1997/20.04.2017	Fail	Fail
16.	श्री कमलेन्द्र प्रताप सिंह	कनिष्ठ सहायक	केन्द्रीय लेखा कार्यालय	11.09.1995/20.04.2017	Fail	Fail
17.	श्री शिव मोहन त्रिपाठी	कनिष्ठ सहायक	केन्द्रीय लेखा कार्यालय	16.09.1995/20.04.2017	Fail	Fail
18.	श्री उदय सिंह राठौर	कनिष्ठ सहायक	केन्द्रीय लेखा कार्यालय	18.09.1995/20.04.2017	Fail	Fail
19.	श्री संजय निगम	कनिष्ठ सहायक	केन्द्रीय लेखा कार्यालय	01.02.1996/20.04.2017	Fail	Fail
20.	श्री अनिल कुमार पाण्डेय	कनिष्ठ सहायक	केन्द्रीय लेखा कार्यालय	01.04.1996/20.04.2017	Fail	Fail
21.	श्री अमित कुमार सक्सेना	कनिष्ठ सहायक	केन्द्रीय लेखा कार्यालय	13.05.1996/20.04.2017	Fail	Fail
22.	श्री नवीन श्रीवास्तव	कनिष्ठ सहायक	केन्द्रीय लेखा कार्यालय	16.06.1996/20.04.2017	Fail	Fail
23.	श्री कृष्ण चन्द्र मिश्रा	कनिष्ठ सहायक	केन्द्रीय लेखा कार्यालय	16.06.1996/20.04.2017	Fail	Fail
24.	श्री मोहित कपूर	कनिष्ठ सहायक	केन्द्रीय लेखा कार्यालय	14.06.1997/20.04.2017	Fail	Fail
25.	श्री सुरेश चन्द्र	कनिष्ठ सहायक	केन्द्रीय लेखा कार्यालय	23.09.1999/20.04.2017	Fail	Fail
26.	श्री सुरेन्द्र कुमार कश्यप	कनिष्ठ सहायक	केन्द्रीय लेखा कार्यालय	03.10.2001/20.04.2017	Fail	Pass
27.	श्री राजेश कुमार	कनिष्ठ सहायक	कैनिंग कालेज डिस्पेन्सरी	28.07.1997/20.04.2017	Fail	Fail
28.	श्री निरंकार	कनिष्ठ सहायक	कुलानुशासक कार्यालय	10.07.1996/20.04.2017	Fail	Fail
29.	श्री राम सागर	कनिष्ठ सहायक	कुलानुशासक कार्यालय	24.12.2002/20.04.2017	Fail	Fail
30.	श्री अवधेश कुमार मिश्रा	कनिष्ठ सहायक	कला संकाय कार्यालय	10.08.1996/20.04.2017	Fail	Fail
31.	श्री नीरज गुप्ता	कनिष्ठ सहायक	कला संकाय कार्यालय	26.06.1995/20.04.2017	Fail	Fail
32.	श्री शरद कुमार श्रीवास्तव	कनिष्ठ सहायक	कला संकाय कार्यालय	10.08.1996/20.04.2017	Fail	Fail
33.	श्री अमित कुमार सक्सेना	कनिष्ठ सहायक	राजनीति शास्त्र विभाग	01.07.1997/20.04.2017	Fail	Fail
34.	श्री फरहत मसूद	कनिष्ठ सहायक	ओरियण्टल परशियन विभाग	23.11.1996/20.04.2017	Fail	Fail
35.	श्री प्रमोद कुमार शुक्ला	कनिष्ठ सहायक	विधि संकाय	16.06.1996/20.04.2017	Fail	Fail
36.	श्री मुकेश धर दुबे	कनिष्ठ सहायक	विज्ञान संकाय	02.11.1996/20.04.2017	Fail	Fail
37.	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	कनिष्ठ सहायक	विज्ञान संकाय	08.11.1996/20.04.2017	Fail	Fail
38.	श्री दिनेश कुमार	कनिष्ठ सहायक	भूगर्भ विज्ञान विभाग	28.07.1997/20.04.2017	Fail	Fail
39.	श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव	कनिष्ठ सहायक	निर्माण विभाग, सिविल	27.02.1997/20.04.2017	Fail	Fail

Scanned by CamScanner

40.	श्री सत्य प्रकाश विधार्थी	कनिष्ठ सहायक	अधिष्ठाता छात्र कल्याण	16.03.1998 / 20.04.2017	Fail	Fail
41.	श्री उदयन तिवारी	कनिष्ठ सहायक	वाणिज्य संकाय	01.12.2000 / 20.04.2017	Fail	Fail
42.	श्री सतीश चन्द्र	कनिष्ठ सहायक	कला संकाय	01.08.1996 / 20.04.2017	Fail	Fail
43.	श्री कौशलेन्द्र कृष्ण निगम	कनिष्ठ सहायक	वाणिज्य संकाय	23.11.1996 / 20.04.2017	Fail	Fail
44.	श्री श्रीधर दुबे	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	29.03.1995 / 20.04.2017	Fail	Fail
45.	श्री सुशील कुमार शुक्ला	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	19.06.1995 / 20.04.2017	Fail	Fail
46.	श्री विनोद धर दुबे	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	14.07.1995 / 20.04.2017	Fail	Fail
47.	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	29.03.1995 / 20.04.2017	Fail	Fail
48.	श्री राजेश सिंह	कनिष्ठ सहायक	विधि संकाय	10.07.1996 / 20.04.2017	Fail	Fail
49.	श्री संजय कुमार सिंह	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	01.05.1995 / 20.04.2017	Fail	Fail
50.	श्री देवी प्रसाद	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	21.08.1995 / 20.04.2017	Fail	Fail
51.	सुश्री रोली श्रीवास्तव	कनिष्ठ सहायक	कैलाश हाल	16.08.1996 / 20.04.2017	Fail	Fail

उक्त कर्मचारियों को माह जुलाई, 2019 में देय वेतन वृद्धि उनके टाइप टेस्ट उत्तीर्ण कर लेने तक स्थगित रखे जाने पर परिषद कृपया विचार करना चाहें।

(ब)–चतुर्थ श्रेणी से प्रोन्नत होकर नैत्यिक लिपिक/कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों की न्यूनतम निर्धारित अर्हता टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट हिन्दी में एंव 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में निर्धारित हैं। उक्त के आलोक में हुये टंकण परीक्षा के परीक्षाफल पर विचार करना तथा निर्णय लेना।

मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार दिनांक 15.03.2019 को आयोजित टंकण परीक्षा में निम्नांकित सूची में अकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी, (कनिष्ठ सहायक) पर प्रोन्नत हुये थे परन्तु टंकण परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किये गये हैं, जिनकी सूची निम्नवत हैं, परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत।

क्रं0 सं0	कर्मचारी का नाम	पद नाम	कार्यालय/विभाग का नाम	प्रोन्नति की तिथि	परीक्षा परिणाम	
					अंग्रेजी	हिन्दी
1.	श्री अमर सिंह	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय		Fail	Fail
2.	श्री रंजीत सिंह	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय		Fail	Fail

उक्त कर्मचारियों को माह जुलाई, 2019 में देय वेतन वृद्धि उनके टाइप टेस्ट उत्तीर्ण कर लेने तक स्थगित रखे जाने पर परिषद कृपया विचार करना चाहें।

(स)– मृतक कर्मचारियों के आश्रितो को अनुकम्पा के आधार पर विश्वविद्यालय में नैत्यिक लिपिक/कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी थी। कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु शासनादेश दिनांक 26.09.2013 द्वारा शैक्षिक अर्हता निम्नवत् है :– **तृतीय श्रेणी कनिष्ठ सहायक पद की अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ–साथ कम्प्यूटर चालन का DOEACC (वर्तमान नाम निलिट) द्वारा प्रदत्त CCC लेवल का प्रमाण–पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25/30 शब्द की प्रति मिनट की टंकण गति होनी चाहिए।** उक्त के आलोक में हुये टंकण परीक्षा के परीक्षाफल पर विचार करना तथा निर्णय लेना।

मृतक आश्रित नियुक्ति सम्बन्धी नियमावली में निम्न प्राविधान हैं –

"परन्तु यह कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया है और मृत सरकारी सेवक आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जाएगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी

Scanned by CamScanner

सामान्य वार्षिक वेतन वृद्वि रोक ली जायेगी, और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगी, और यदि बढ़ाई गयी अवधि में भी वह टंकण की अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेंगी"।

मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार मृतक आश्रित के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने से पूर्व दिनांक 20.12.2018 एवं पुनः दिनांक 15.03.2019 को आयोजित टंकण परीक्षा में निम्नांकित कर्मचारियों (मृतक आश्रित हेतु अभ्यर्थी एवं पूर्व से कनिष्ठ सहायक पद पर विनियमितीकरण किये गये कर्मचारी) ने टंकण परीक्षा में प्रतिभाग किया, परीक्षक द्वारा प्राप्त टंकण परीक्षा में सूची में क्रम संख्या 09 पर अंकित कर्मचारी **श्री मनीष कुमार बाल्मीकि**, हिन्दी टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण है तथा अवशेष समस्त कर्मचारी टंकण परीक्षा में **अनुत्तीर्ण** हुये है, जिनकी सूची निम्नवत हैं, परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत :–

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	पद नाम	कार्यालय/विभाग का नाम	नियुक्ति तिथि	परीक्षा परिणाम	
					अंग्रेजी	हिन्दी
1.	श्री सुभम सैनी	कनिष्ठ सहायक	केन्द्रीय लेखा कार्यालय	19-08-2014	Fail	Fail
2.	श्री विपुल मिश्रा	कनिष्ठ सहायक	केन्द्रीय लेखा कार्यालय	12-06-2014	Fail	Fail
3.	श्रीमती ज्ञान बाला पाठक	कनिष्ठ सहायक	केन्द्रीय लेखा कार्यालय	26-04-2017	Fail	Fail
4.	श्रीमती शालिनी द्विवेदी	कनिष्ठ सहायक	टैगोर पुस्तकालय	24-06-2014	Fail	Fail
5.	श्री अभिषेक सिंह	कनिष्ठ सहायक	टैगोर पुस्तकालय	06-07-2016	Fail	Fail
6.	श्री शुभम गुप्ता	कनिष्ठ सहायक	टैगोर पुस्तकालय	13-04-2017	Fail	Fail
7.	श्री इन्द्रेश कुमार जैसल	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	14-08-2015	Fail	Fail
8.	श्री शुभम शर्मा	कनिष्ठ सहायक	वनस्पति विभाग	15-07-2016	Fail	Fail
9.	श्री मनीष कुमार बाल्मीकि	कनिष्ठ सहायक	सांख्यिकी विभाग	02-11-2015	Fail	Pass
10.	श्री कृतार्थ श्रीवास्तव	कनिष्ठ सहायक	गणित एवं खगोल विभाग	19-06-2017	Fail	Fail
11.	श्री साजिद अली	कनिष्ठ सहायक	निर्माण विभाग सिविल	15-10-2016	Fail	Fail
12.	श्री राजू राजपूत	कनिष्ठ सहायक	निर्माण विभाग विद्युत	15-04-2017	Fail	Fail
13.	श्री अभिनय कुमार	कनिष्ठ सहायक	निर्माण विभाग विद्युत	21-09-2016	Fail	Fail
14.	श्री दुर्गेश कश्यप	कनिष्ठ सहायक	ललित कला संकाय	01-12-2016	Fail	Fail

(द)–विश्वविद्यालय में कार्यरत मृतक कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को तृतीय श्रेणी में नियुक्ति दिये जाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन पर विचार करते हुये टंकण परीक्षा आयोजित की गयी। कनिष्ठ सहायक के पद की न्यूनतम निर्धारित अर्हता टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट हिन्दी में एंव 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में निर्धारित हैं। उक्त के आलोक में हुये टंकण परीक्षा के परीक्षाफल पर विचार करना तथा निर्णय लेना।

मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार दिनांक 15.03.2019 को आयोजित टंकण परीक्षा में निम्नांकित सूची में **मृतक आश्रित के रूप में तृतीय श्रेणी (कनिष्ठ सहायक) पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों जो कि टंकण परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित हुये हैं। मृत सरकारी सेवक आश्रित सेवा नियमावली–1974 (यथासंशोधित 2014) (संलग्नक 20) के प्रस्तर 05 (एक) के परन्तुक में वर्णित प्राविधान निम्नवत् हैं** :– शासनादेश संख्या0 वे0आ0–2–665(I)/दस–54(एम) 2008 टी0सी0 दिनांक 126.09.2013 द्वारा तृतीय श्रेणी कनिष्ठ सहायक पद की अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ–साथ कम्प्यूटर चालन का DOEACC (**वर्तमान नाम निलिट**) द्वारा प्रदत्त CCC लेवल का प्रमाण–पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25/30 शब्द की प्रति मिनट की टंकण गति होनी चाहिए। **"परन्तु यह कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया है और मृत सरकारी सेवक आश्रित के**

Ashulele

Scanned by CamScanner

पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जाएगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि रोक ली जायेगी, और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगी, और यदि बढ़ाई गयी अवधि में भी वह टंकण की अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेंगी"।

टंकण परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर्मचारियों की सूची निम्नवत हैं, परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत :—

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	परिक्षा परिणाम	
		अंग्रेजी	हिन्दी
1-	श्रीमती अनीता	A	A
2-	श्री विजय शेखर यादव	Fail	Fail
3-	सुश्री शलिनी वर्मा	Fail	Fail
4-	श्री पुनीत सिंह	Fail	Fail
5-	श्री कमल किशोर	Fail	Fail
6-	श्री अमन निगम	Fail	Fail

(ध)—विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गयी टंकण परीक्षा में निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक नहीं सम्मिलित हुये उनके प्रकरण पर विचार करना तथा निणर्य लेना।

मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार दिनांक 15.03.2019 को टंकण परीक्षा आयोजित की गयी थी जिनमें निम्नलिखित कर्मचारीं **अनुपस्थित रहें**। कनिष्ठ सहायक के पद की न्यूनतम निर्धारित अर्हता टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट हिन्दी में एंव 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में निर्धारित हैं।

शासनादेश संख्या0 वे0आ0—2—665(I)/दस—54(एम) 2008 टी0सी0 दिनांक 126.09.2013 द्वारा तृतीय श्रेणी कनिष्ठ सहायक पद की अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ—साथ कम्प्यूटर चालन का DOEACC (वर्तमान नाम निलिट) द्वारा प्रदत्त CCC लेवल का प्रमाण—पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25/30 शब्द की प्रति मिनट की टंकण गति होनी चाहिए।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	पद नाम	कार्यालय/विभाग का नाम	परीक्षा परिणाम	
				अंग्रेजी	हिन्दी
1.	श्री चन्द्र प्रकाश सिंह	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	A	A
2.	श्री सुनील कुमार	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	A	A
3.	श्रीमती मीरा	कनिष्ठ सहायक	विज्ञान संकाय कार्यालय	A	A
4.	श्री बीरेश चन्द्र वर्मा	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	A	A
5.	श्री इन्द्रसेन सिह	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	A	A
6.	श्री संजय सिंह चौहान	कनिष्ठ सहायक	कुलसचिव कार्यालय	A	A

मा0 कुलपति जी व अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कुलसचिव/सचिव कार्य परिषद ने उक्त मद सं0 22 के उपखण्ड क से ध को आज की बैठक से वापस लेने का प्रस्ताव किया जिसे कार्य परिषद ने स्वीकार किया।

Scanned by CamScanner

मद संख्या 23 : **Urban Centre** के नवीन एम0ओ0यू0(**Memorandum of Understanding**) की सूचना देना तथा आवश्यक निर्णय लिया जाना।

कार्य परिषद ने **Urban Centre** के नवीन तथा पुराने एम0ओ0यू0 (**Memorandum of Understanding**) का अवलोकन किया जिससे यह तथ्य उद्घटित हुआ कि अब इस सेन्टर का लखनऊ विश्वविद्यालय से न तो कोई सम्बन्ध रह गया हैं, और न ही गवर्निंग बॉडी, वित्त समिति एवं विश्वविद्यालय का कोई प्रशासनिक नियंत्रण सेन्टर के क्रियाकलापों पर शेष रहा हैं। कार्य परिषद सदस्य प्रो0 एस0के0 द्विवेदी ने परिषद को सूचित किया कि प्रारम्भ में इस सेन्टर की स्थापना लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की भूमि पर हुई थी। कालान्तर में शासन द्वारा इसे (सेन्टर को) लखनऊ विश्वविद्यालय से पृथक इकाई के रुप में ले लिया गया। तत्पश्चात उच्च स्तरीय निर्णय से वर्ष 2000 में पुनः इसे (सेन्टर का) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत शासन द्वारा रखा गया।

(a) नवीन एम0ओ0यू0(**Memorandum of Understanding**) के पूर्व तक सेन्टर की गवर्निंग बाडी के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुलपति होते थे जिनकी प्रस्थिति नवीन एम0ओ0यू0(**Memorandum of Understanding**) में मात्र एक सदस्य की रखी गयी हैं। सेन्टर को लखनऊ विश्वविद्यालय से पृथक एक इकाई के रुप में रखा गया हैं जो कि सेन्टर की स्थापना के मन्तव्यों के प्रतिकूल हैं।

(b) परिषद ने उक्त विषय पर गम्भीर विचार–विमर्श किया तथा निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में पत्राचार कर पुनः पूर्व की स्थिति की बहाली का अनुरोध राज्य सरकार से किया जाये और यदि पूर्व की स्थिति की बहाली के लिये राज्य एवं केन्द्र सरकार असहमत होती हैं तो उन्हें सूचित करते हुये सेन्टर को विश्वविद्यालय परिसर से रिक्त करने की नोटिस दी जाये।

(c) कार्य परिषद सदस्य प्रो0 एस0के0 द्विवेदी ने यह भी अवगत कराया कि भूतनाथ, इन्दिरा नगर में "**Institute of Public Administration, University of Lucknow**" के नाम जमीन क्रय की गयी थी। अर्बन सेन्टर द्वारा उक्त भूमि का उपयोग किया जाना तथा निर्माण कार्य कराया जाना तथा उक्त भूमि के पते से नवीन सोसाइटी का पंजीकरण कराना उक्त भूमि पर विश्वविद्यालय के स्वामित्व के आलोक में गलत हैं। कार्य परिषद ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय उक्त भूमि की री–क्लेम करने के सम्बन्ध में अभिलेखों की पड़ताल कर यथोचित कार्यवाही करें। परिषद को बहुमूल्य सूचना से अवगत कराने के लिये प्रो0 एस0के0 द्विवेदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

कार्य परिषद की बैठक दिनांक 29.04.2019 की पूरक कार्यसूची की कार्यवाही

मद संख्या 01 – लखनऊ विश्वविद्यालय के व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ0 नागेन्द्र कुमार मौर्या की नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर, व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग में पत्र संख्या 10591 दिनांक 19.03.2016 द्वारा की गयी थी। डॉ0 मौर्या असिस्टेंट प्रोफेसर, व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग के पद पर दिनांक 15.06.2016 को कार्यभार ग्रहण किया था। इस विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व डॉ0 मौर्या गिरी विकास अध्ययन संस्थान, अलीगंज, लखनऊ में फैलो/असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। गिरी विकास अध्ययन संस्थान, अलीगंज, लखनऊ में प्राप्त मूल वेतन रू0 22980/– ए0जी0पी0 6000/ को इस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि यथा 15.06.2016 से वेतन संरक्षित करने हेतु विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 31889 दिनांक 23.11.2016 द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन से अनुरोध किया गया था । पत्र संख्या 47624 दिनांक 18.09.2017 द्वारा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन को यह सूचित किया गया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय एवं गिरी विकास अध्ययन

Sushukla

Scanned by CamScanner

संस्थान में सहायक आचार्य की शैक्षिक योग्यता समतुल्य है। शासनादेश दिनांक 20.06.1989 में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा प्राप्त किये जा रहे मूलवेतन को संरक्षित किये जाने की व्यवस्था है, अन्य किसी संस्थान में कार्यरत शिक्षकों के मूलवेतन को संरक्षित किये जाने का प्राविधान नहीं है।यह भी सूच्य हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आवेदन पत्र में पूर्व संस्था में प्राप्त किये जा रहे मूल वेतन को संरक्षित किये जाने हेतु कॉलम नहीं हैं।

डॉ0 नागेन्द्र कुमार मौर्या ने नियुक्ति हेतु अपना आवेदन पत्र अपनी पूर्व संस्था के माध्यम से प्रस्तुत किया था, औंर अपने मूल आवेदन पत्र में उस समय प्राप्त किये जा रहें मूल वेतन को संरक्षित किये जाने करा अनुरोध नहीं किया था। उल्लेखनीय हैं कि विश्वविद्यालय के निर्धारित आवेदन पत्र में वेतन संरक्षित करने के सम्बन्ध में मांग करने का कोई कॉलम नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र सं0 601/सत्तर–4–2019–90/2017 दिनांक 19.03.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा यह अपेक्षा की हैं कि डॉ0 नागेन्द्र कुमार मौर्या, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ का प्रकरण शासनादेश दिनांक 20.06.1989 से आच्छादित हैं अथवा नहीं, परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद ने प्रस्तावानुसार विस्तृत चर्चा उपरान्त उपर्युक्त शिक्षक के वेतन संरक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की तथा अग्रेत्तर निर्णय लिया कि संगत शासनादेश/शासनादेशों के आलोक में कार्य परिषद की संस्तुति सहित प्रकरण औपचारिक आदेश निर्गमन हेतु विहित प्रक्रियानुसार शासन को संदर्भित किया जाये।

मद सं 02 – लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रकरण परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय में कार्यरत् शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में अंकित है, उन्हें उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी द्वारा स्थायी किये जाने की स्वीकृति कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पद नाम	नियुक्ति की प्रकृति	कार्यालय/ विभाग का नाम	नियुक्ति/ समायोजन/ विनियमितीकरण तिथि	कार्य–भार ग्रहण तिथि	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्रीमती रुचिता श्रीवास्तव	परिचर	मृतक आश्रित	कुलानुशासक कार्यालय	22.10.2011	22.10.2011	22.10.2012
2.	श्री नीरज कुमार पाण्डेय	सुरक्षा प्रहरी	मृतक आश्रित	कुलानुशासक कार्यालय	16.04.2017	16.04.2017	16.04.2018
3.	श्री सुरेन्द्र कुमार मिश्रा	सुरक्षा प्रहरी	विनियमितीकरण	कुलानुशासक कार्यालय	20.04.2017	20.04.2017	20.04.2018
4.	श्री सरदार खान	सुरक्षा प्रहरी	विनियमितीकरण	कुलानुशासक कार्यालय	20.04.2017	20.04.2017	20.04.2018
5.	श्री राम बहादुर पाल	परिचर	समायोजन	कुलानुशासक कार्यालय	05.08.2000	05.08.2000	05.08.2001
6.	श्री जगन्नाथ तिवारी	सुरक्षा प्रहरी	समायोजन	कुलानुशासक कार्यालय	01.08.2000	01.08.2000	01.08.2001
7.	कु0 कृष्णा	स्वीपर	मृतक आश्रित	महमूदाबाद हॉल	27.08.2013	27.08.2013	27.08.2014

Scanned by CamScanner

8.	श्री श्याम सुन्दर पाठक	परिचर	विनियमितीकरण	लाल बहादुर शास्त्री हॉल	20.04.2017	21.04.2017	21.04.2018
9.	श्री कासिम	बियरर	विनियमितीकरण	लाल बहादुर शास्त्री हॉल	20.04.2017	21.04.2017	21.04.2018
10.	श्री राम गोपाल	माली	विनियमितीकरण	तिलक हॉल	19.11.2014	26.11.2014	26.11.2015
11.	श्रीमती खैरुनिशा	परिचर	मृतक आश्रित	हबीबुल्ला हॉल	03.09.2002	04.09.2002	04.09.2003
12.	श्रीमती कुसुम	परिचर	मृतक आश्रित	चन्द्रशेखर हॉल	16.11.2016	16.11.2016	16.11.2017
13.	श्री राजेश कुमार गोस्वामी	बियरर	विनियमितीकरण	सुभाष हॉल	20.04.2017	22.04.2017	22.04.2018
14.	श्री रामचन्द्र	बियरर	नियुक्ति	हबीबुल्ला हॉल	01.08.1997	01.08.1997	01.08.1998
15.	श्री रामानन्द	फर्राश	नियुक्ति	सुभाष हॉल	01.11.1995	01.11.1995	01.11.1996
16.	श्री राजू	स्वीपर	नियुक्ति	सुभाष हॉल	01.11.1995	01.11.1995	01.11.1996
17.	श्रीमती बरखा	लैब बियरर	मृतक आश्रित	रसायन विज्ञान विभाग	19.12.2016	20.12.2016	20.12.2017
18.	श्री निर्मल कुमार	चौकीदार	विनियमितीकरण	रसायन विज्ञान विभाग	20.04.2017	21.04.2017	21.04.2018
19.	श्री राजकुमार मिश्रा	चौकीदार	विनियमितीकरण	रसायन विज्ञान विभाग	20.04.2017	21.04.2017	21.04.2018
20.	श्री सत्येन्द्र कुमार	चौकीदार	विनियमितीकरण	भौतिक विज्ञान विभाग	20.04.2014	20.04.2017	20.04.2018
21.	श्रीमती आशा पाण्डेय	पुस्तकालय सहायक	विनियमितीकरण	टैगोर पुस्तकालय	20.04.2014	21.04.2017	21.04.2018
22.	श्री नितिन कुमार यादव	परिचर	मृतक आश्रित	टैगोर पुस्तकालय	07.06.2016	07.06.2016	07.06.2017
23.	श्री संतोष मिश्रा	परिचर	विनियमितीकरण	टैगोर पुस्तकालय	20.04.2017	21.04.2017	21.04.2018
24.	श्री मनीष शर्मा	चौकीदार	विनियमितीकरण	टैगोर पुस्तकालय	20.04.2017	21.04.2017	21.04.2018
25.	श्री दिनेश वाल्मीकी	स्वीपर	विनियमितीकरण	टैगोर पुस्तकालय	20.04.2017	24.04.2017	24.04.2018
26.	श्री सुनील कुमार	स्वीपर	विनियमितीकरण	टैगोर पुस्तकालय	20.04.2017	22.04.2017	22.04.2018

कार्य परिषद कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा इसका अनुमोदन किया।

मद सं0 03 – लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयुक्त निम्नलिखित महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की स्थायी/अस्थायी सहयुक्तता एंव सहयुक्तता के विस्तारण सम्बन्धी विवरण परिषद के सम्मुख स्वीकृतार्थ प्रस्तुत :–

Scanned by CamScanner

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	स्थायी/अस्थायी सहयुक्तता एंव विस्तारण की प्रकृति	सत्र
1.	स्वतंत्र गर्ल्स डिग्री कालेज लखनऊ	बी0एड0	अस्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 हेतु मात्र
2.	यशराज इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, बाघामऊ,गोमती नगर विस्तार,लखनऊ	बी0एड0	अस्थायी सहयुक्तता विस्तारण	सत्र 2019–20 हेतु मात्र
3.	टी0डी0एल0 कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेन्ट,साइंसेज,कासिमपुर बिरुआ,गोसाईगंज,सुल्तानपुर रोड, लखनऊ	बी0एड0	अस्थायी सहयुक्तता विस्तारण	सत्र 2019–20 हेतु मात्र
4.	सुरजन देवी अनुसुइया देवी डिग्री कालेज,लखनऊ	बी0एड0	स्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से
5.	श्री कृष्ण दत्त एकेडमी,लखनऊ	बी0एड0	स्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से
6.	अकबरी बेगम कालेज ऑफ एजुकेशन, लखनऊ	बी0एड0	स्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से
7.	स्वामी विवेकानन्द महिला महाविद्यालय,लखनऊ	एम0एड0	स्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से
8.	जी0एस0आर0एम0 मेमोरियल पी0जी0कालेज,लखनऊ	बी0ए0	स्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से
9.	सिटी गर्ल्स कालेज ,रतन खण्ड, लखनऊ	बी0एड0	स्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से
10.	कालेज ऑफ एनोवेटिव मैनेजमेन्ट एण्ड साइंस ,विपुल खण्ड गोमती नगर,लखनऊ	बी0कॉम आनर्स	अस्थायी सहयुक्तता विस्तारण	सत्र 2019–20 हेतु मात्र
11.	आई0टी0एम0 कालेज ऑफ एजुकेशन,मामपुरबाना,बक्शी का तालाब ,लखनऊ	बी0एड0	अस्थायी सहयुक्तता विस्तारण	सत्र 2019–20 हेतु मात्र
12.	गया प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सीलेन्स, लखनऊ	बी0एड0	स्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से
13.	लाला महादेव प्रसाद वर्मा बालिका महाविद्यालय,गोसाईगंज,लखनऊ	एम0एड0	अस्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 हेतु मात्र
14.	रजत पी0जी0 कालेज,कमता,पंचवटी,फैजाबाद रोड,लखनऊ	एम0पी0एड0, एम0एस0सी0 (भौतिकी,रसायन, जन्तु व वनस्पति विज्ञान एंव गणित),एम0ए0 (हिन्दी,गृह विज्ञान व शिक्षाशास्त्र) तथा एम0कॉम0 (व्यवहारिक अर्थशास्त्र)	अस्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 हेतु मात्र
15.	सी0डी0 गर्ल्स डिग्री कालेज,गोविन्द विहार,चिनहट तिराहा,लखनऊ	एम0ए0(हिन्दी व समाजशास्त्र) एवं एम0कॉम0 (प्योर)	अस्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 हेतु मात्र
16.	वासुदेव डिग्री कालेज, लखनऊ	बी0एड0	अस्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 हेतु मात्र
17.	इरम गर्ल्स डिग्री कालेज,लखनऊ	एम0एड0	स्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से
18.	एच0एल0वाई0 डिग्री कालेज, मोहनलालगंज, लखनऊ	बी0एड0	अस्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 हेतु मात्र
19.	लखनऊ पब्लिक कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज,लखनऊ	बी0जे0एम0सी0	स्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से
20.	अकबरी बेगम कालेज ऑफ एजुकेशन लखनऊ	बी0कॉम0	स्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से
21.	सिटी कालेज, तिवारीगंज, उत्तरधौना, चिनहट, लखनऊ	बी0एड0	स्थायी सहयुक्तता	सत्र 2018–19 से
22.	टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज,लखनऊ	बी0एड0	स्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से

Scanned by CamScanner

23.	आदर्श सत्येन्द्र ,महाविद्यालय, माल, लखनऊ	एम0ए0(शिक्षाशास्त्र)	अस्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से दो वर्ष हेतु
24.	आदर्श सत्येन्द्र ,महाविद्यालय, माल, लखनऊ	एम0कॉम0	अस्थायी सहयुक्तता	सत्र 2019–20 से दो वर्ष हेतु
25.	सिटी वोमेन्स कालेज, जानकीपुरम, लखनऊ	बी0एड0	अस्थायी सहयुक्तता विस्तारण	सत्र 2019–20 के लिये
26.	सत्यानन्द उच्च शिक्षा संस्थान,बिजनौर लखनऊ	बी0एड0	अस्थायी सहयुक्तता विस्तारण रु0 1 लाख अर्थदण्ड के साथ	सत्र 2019–20 के लिये

कार्य परिषद ने उक्त तालिका में अंकित महाविद्यालयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण की आख्या में की गयी संस्तुति एवं महाविद्यालयों के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावानुसार निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के आलोक में महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि तथा पाठ्यक्रम के लिये सहयुक्तता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की।

मद सं 04 – प्रवेश समिति की बैठकों दिनांक 04.09.2018, 26.10.2018 एंव 11.03.2019 के कार्यवृत्तों की पुष्टि करने पर विचार करना तथा निणर्य लेना।

कार्यपरिषद ने प्रवेश समिति की बैठकों दिनांक 04.09.2018, 26.10.2018 एवं 11.03.2019 के कार्यवृत्त में अंकित निर्णयों पर सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अन्य मदः–

1. कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पाल्यों को विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को विश्वविद्यालय कोटे के अन्तर्गत प्रवेश प्रदान किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के अध्यादेश में निम्नवत व्यवस्था विद्यमान हैं –

" Sons, Daughters and spouse of University employees shall be admitted as a special case provided that not more than 10% of the total number of seats to various classes shall be filled on this basis where there is no requirement of the test. The term employee shall include for the purpose superannuated Employees and deceased employees. "

उक्त प्राविधान को इस सीमा तक शिथिल करने का निणर्य लिया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा संचालित होती हैं वहॉ पर भी कर्मचारी कोटे के अन्तर्गत उक्त प्राविधानानुसार प्रवेश अनुमन्य होंगें। उक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष प्राविधान यथावत रहेंगें।

मा0 कुलपति /अध्यक्ष कार्य परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि संविदा,स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम एवं नियत वेतन तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कोटे के अन्तर्गत प्रवेश का लाभ नहीं दिया जायेगा।

2. कार्य परिषद के मा0 सदस्य प्रो0 एस0के0 द्विवेदी द्वारा अवगत कराया गया कि विगत दिनों में प्रायः समाचार पत्रों में लखनऊ विश्वविद्यालय की फर्जी अंकतालिकाओं से सम्बन्धित घटना का खुलासा लखनऊ पुलिस द्वारा किये

Scanned by CamScanner

जाने से सम्बन्धित प्रकरण प्रकाशित हुए है। कार्य परिषद ने उक्त स्थिति पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की तथा इस प्रकार की घटनायें क्यों हुई एवं भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न हो इस हेतु वर्तमान प्रचलित व्यवस्थाओं के सापेक्ष व्यवस्थाओं में सुधार हेतु संस्तुतियॉ देने के लिए निम्नानुसार एक समिति का गठन किया गयाः–

1.	प्रो0 एस0के0 द्विवेदी,पूर्व विभागाध्यक्ष,राजनीति शास्त्र विभाग,ल0वि0वि0	सदस्य कार्य परिषद /अध्यक्ष
2.	प्रो0 आर0एन0 सिंह, सेवानिवृत्त, भौतिक शास्त्र विभाग,ल0वि0वि।	सदस्य
3.	प्रो0 चमन मेहरोत्रा, पूर्व परीक्षा नियंत्रक,ल0वि0वि।	सदस्य
4.	परीक्षा नियंत्रक, ल0वि0वि0।	सदस्य/सचिव

3. डॉ0 निशीथ राय, पूर्व कुलपति, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,मोहन रोड , लखनऊ के प्रकरण में कुलपति, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,मोहन रोड , लखनऊ के पत्र दिनांक 12.02.2019 से प्राप्त जॉच रिर्पोट को परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट में निम्नलिखित निर्णय पर कार्यवाही की अपेक्षा की गई है।

मा0 सामान्य परिषद की 05 वी पुनर्आहूत बैठक दिनांक 25. जनवरी, 2019 की बैठक में बिन्दु संख्या–3/5 में उप बिन्दु–05 में निर्णय लिया गया कि '' डॉ0 निशीथ राय, कार्य विरत कुलपति, विश्वविद्यालय द्वारा अपनी जन्मतिथि के संदर्भ में गलत तथ्यों व कूटरचित अभिलेखों का प्रयोग कर, अपना सही नाम व वास्तविक अंकित उम्र छिपाने सम्बन्धी सिद्ध आरोप के सम्बन्ध में कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय को नियमानुसार प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही किये जाने के लिए जॉच आख्या की प्रतिलिपि सहित समस्त उपलब्ध सुसंगत अभिलेखों के साथ पत्र प्रेषित किया जाये।''

कार्य परिषद ने विचारोपरान्त उक्त निर्णय पर कुलपति को सर्वसम्मति से नियमानुसार विधिक कार्यवाही हेतु अधिकृत किया।

बैठक के अन्त में मा0 सदस्य प्रो0 एस0 के0 द्विवेदी ने कार्यसूची को समयान्तर्गत भेजे जाने एवं कार्यसूची के सुचारु रुप से प्रस्तुतीकरण की सराहना की। बैठक के अन्त में कुलपति/अध्यक्ष महोदय तथा कार्य परिषद के मा0 सदस्यों के प्रति कुलसचिव/ पदेन सचिव द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

SSShukla

(एस0के0शुक्ल)
कुलसचिव/पदेन सचिव
कार्य परिषद

2.8.19
(प्रो0 एस0पी0सिंह)
कुलपति/पदेन अध्यक्ष
कार्य परिषद

Scanned by CamScanner